प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 1067सन 2021
अनवान :–

1. तकाराम उर्फ तनुराम पुत्र लादुराम जाति खाती निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

वादी

बनाम

1. जगदीश पुत्र लादुराम जाति खाती निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. मदनलाल पुत्र सुरजाराम जाति खाती निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर
3. बंशीलाल पुत्र सुरजाराम जाति खाती निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर
4. प्रेम प्रकाश पुत्र सोहनलाल जाति खाती निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर
5. मोहनलाल पुत्र सोहनलाल जाति खाती निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर
6. सुनीता देवी पुत्री अणची पुत्री लादुराम जाति खाती निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर
7. मन्जू पुत्री अणची पुत्री लादुराम जाति खाती निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर
8. मागेराम पुत्र अणची पुत्री लादुराम जाति खाती निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर
9. मैना पुत्री सुरजाराम पुत्र लादुराम जाति खाती निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर
10. मन्जू पुत्री सुरजाराम पुत्र लादुराम जाति खाती निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर
11. सुमित्रा पुत्री सुरजाराम पुत्र लादुराम जाति खाती निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर
12. सावित्री पत्नी सुरजाराम पुत्र लादुराम जाति खाती निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ़।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 23/11/2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा मन्दरपुरा के खाता संख्या 599/588 की कुल 14.1770हैक्ट तथा रोही मौजा चैनपुरा के खाता संख्या 215/417 के खसरा न0 170 की कुल 6.1960हैक्ट भूमि सयुक्त खाते में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 के नाम से दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 के नाम सयुक्त खाते में दर्ज है जो लादुराम के देहान्त होने पर विरासतन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है अर्थात वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के नाम सयुक्त खाते में दर्ज है।

प्रतिवादी संख्या 6 ता 8 वादी की बहन अणची के वारिसान पुत्र/पुत्रीया प्रतिवादी संख्या 9 ता 12 सुरजाराम की पुत्र/पुत्रीया है प्रतिवादी संख्या 6 ता 12 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के पक्ष मे किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 का बराबर का हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अत: वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रशासन गाव के संग अभियान में प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाने के उपरान्त प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 जरिये अधिवक्ता मे उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 ने निवेदन किया की वाद भूमि पूर्व मे उनके पूर्वज लादुराम के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर विरासतन से वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के नाम से दर्ज हुई विरासतन से वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 8 के नाम दर्ज हुई है मे प्रतिवादी संख्या 9 ता 12 का भी हक हिस्सा है जिसे अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है तथा प्रतिवादी संख्या 6 ता 12 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाई/पिता वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के नाम से राजस्व

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं मजमे आम की सहमति/जानकारी के आधार पर वाद का निस्तारण फरमावे।

प्रकरण मे प्रतिवादीगण का ईकबाल/आपसी सहमति मजमे आम में होने के कारण अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नही रही।

पत्रावली प्रशासन गावं के संग अभियान – वर्ष –2021 कैम्प कोर्ट में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रकरण मे उभयपक्षों की सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल/सहमति पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध मे कोई ऐतराज नही है तथा अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद न्यायायिक दृष्टान्तों एवं आपसी सहमति /मजमे आम की सहमति /जानकारी के आधार पर वाद वादी डिक्री फरमाया जावे।

हमने उभयपक्षो को सुना पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 7 जेएसएन के खाता संख्या 63/106 की कुल 6.7420हैक्ट एवं रोही मौजा 2 जेएसएन के खाता संख्या 63/98 की कुल 0.3290हैक्ट मं से 1/3 हिस्सा यानी 0.109हैक्ट व रोही मौजा चक 1 जेएसएन के खाता संख्या 106/198की कुल 6.5400हैक्ट में से 1/3 हिस्सा यानी 2.180हैक्ट भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है।

वादी का कथन है कि वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 के नाम सयुक्त खाते मे दर्ज है जो लादुराम के देहान्त होने पर विरासतन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है अर्थात वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के नाम सयुक्त खाते में दर्ज है में प्रतिवादी संख्या 9 ता 12 का हक हिस्सा है अर्थात वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 के हक हिस्सा की भूमि है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 6 ता 12 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 6 ता 12 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे बाहमी बटवारा के अनुसार उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 6 ता 12 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा मन्दरपुरा के खाता संख्या 599/588 की कुल 14.1770हैक्ट व रोही मौजा चैनपुरा के खाता संख्या 215/147 के खसरा न0 170 की कुल 6.1960हैक्ट भूमि में से प्रतिवादी संख्या 6 ता 8 का नाम कलमजन किया जाकर 1/2 हिस्सा भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 बहिब एवं 1/2 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है तथा रोही मोजा चैनपुरा के खाता संख्या 215/147 के खसरा न0 170 की 6.1960है में से 9 ता 12 का नाम कलमजन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 23/11/2021 को प्रशासन गावं कें संग अभियान वर्ष – 2021 मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष– 2021
कैम्प कोर्ट...

Scanned with CamScanner

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021
पर्चा डिक्री
(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. तकाराम उर्फ तनुराम पुत्र लादुराम जाति खाती निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. जगदीश पुत्र लादुराम जाति खाती निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. मदनलाल पुत्र सुरजाराम जाति खाती निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर
3. बंशीलाल पुत्र सुरजाराम जाति खाती निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर
4. प्रेम प्रकाश पुत्र सोहनलाल जाति खाती निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर
5. मोहनलाल पुत्र सोहनलाल जाति खाती निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर
6. सुनीता देवी पुत्री अणची पुत्री लादुराम जाति खाती निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर
7. मन्जू पुत्री अणची पुत्री लादुराम जाति खाती निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर
8. मांगेराम पुत्र अणची पुत्री लादुराम जाति खाती निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर
9. मैना पुत्री सुरजाराम पुत्र लादुराम जाति खाती निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर
10. मन्जू पुत्री सुरजाराम पुत्र लादुराम जाति खाती निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर
11. सुमित्रा पुत्री सुरजाराम पुत्र लादुराम जाति खाती निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर
12. सावित्री पत्नी सुरजाराम पुत्र लादुराम जाति खाती निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 1067 **सन 2021 निर्णय दिनांक–** 23/11/2021

आज यह वाद प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021 कैम्प कोर्ट में मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा मन्दरपुरा के खाता संख्या 599/588 की कुल 14.1770हैक्ट व रोही मौजा चैनपुरा के खाता संख्या 215/147 के खसरा न0 170 की कुल 6.1960हैक्ट भूमि में से प्रतिवादी संख्या 6 ता 8 का नाम कलमजन किया जाकर 1/2 हिस्सा भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 बहिब एवं 1/2 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मोजा चैनपुरा के खाता संख्या 215/147 के खसरा न0 170 की 6.1960है में से 9 ता 12 का नाम कलमजन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 23/11/2021 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2021 में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष– 2021
कैम्प कोर्ट....

Scanned with CamScanner